अपील सूचना अधिकार संख्या 100/2019 (GCMS 2019/00263) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

08.02.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 14.10.2019 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.10.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. **विधानसभा चुनाव 2013 में बीएलओ श्री सुभाष गोयल तत्कालीन बैकिंग सहायक भाग संख्या 80 को दिये गये माह नवम्बर 2013 के मानदेय की राशि की सूचना व प्राप्ति की रसीद।**
2. **बीएलओ द्वारा प्राप्त की गई मानदेय की राशि की सूचना व प्राप्ति की रसीद।**
3. **विधानसभा चुनाव 2013 में मानदेय एक दिन का जो दिया जाता है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।**

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एसडीएम/गंगा/पीए/2019/57 दिनांक 27.01.2020 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्र.सं.	चाही गई सूचना	सूचना
1.	विधानसभा चुनाव 2013 में बीएलओ श्री सुभाष गोयल तत्कालीन बैकिंग सहायक भाग संख्या 80 को दिये गये माह नवम्बर 2013 के मानदेय की राशि की सूचना व प्राप्ति की रसीद।	निर्वाचन विभाग के दिशा–निर्देशानुसार 2013 में बीएलओं को 250/—प्रति माह की दर से प्रति वर्ष 3000 का मानदेय दिया जाता था। रिकार्ड पुराना होने के कारण प्रमाणित प्रति उपलब्ध नही है।
2.	बीएलओ द्वारा प्राप्त की गई मानदेय की राशि की सूचना व प्राप्ति की रसीद।	बीएलओ को 2013 में प्रति माह 250/— प्रतिमाह की दर से भुगतान किया गया है। मानदेय बीएलओ के बैंक खाता में सीधा जमा करवाया जाता था।
3.	विधानसभा चुनाव 2013 में मानदेय एक दिन का जो दिया जाता है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।	बीएलओ को 2013 में प्रति माह 250/— प्रतिमाह की दर से भुगतान किया गया है। मानदेय बीएलओ के बैंक खाता में सीधा जमा करवाया जाता था।

-sd-
(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2019 का उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा उक्तानुसार उत्तर दिया जा चुका है,जो सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करन योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर